सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 16, शुक्रवार, *शाके* 1946-अप्रेल 05, 2024 *Chaitra 16, Friday , Saka 1946- April 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 05, 2024

संख्या प. 2(4)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपयुक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि, पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजड में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक हे, परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों की क्षति पहुंचने की आशंका है

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ओफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1). 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा

और सरकार उक्त्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तिंथों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से रक्षित (Protected) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों को हटाया

जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना' या 'हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र. स	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	मौजा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	ख. नं.	क्षेत्रफल है.
1	गुरायता बी	सांगोद	कोटा	उत्तर - राजस्व भूमि खसरा नम्बर 6	गुरायता	7	62.96
				दक्षिण राजस्व भूमि खसरा नम्बर 78 एवं खातेदारी भूमि खसरा संख्या 77,43		78/1328	0.20
				पूर्व: राजस्व भूमि खसरा नं 6			
				पश्चिम खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 11, 12, 29			
योग						**2**	**63.16**

जगदीश प्रसाद मीणा,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
कनवास।

रवि कुमार मीना,
उप वन संरक्षक,
कोटा।

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड गुरायता बी

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	ANOGEISSUS PENDULA	धौकड़ा (धौक)
2	EMBELICA OFFICINALIS	आवला
3	ACACIS CATECHU WILD	खैर
4	AZADIRACHTA INDICA	नीम
5	HOLOPTELEA INTEGRIFOLIA	चुरैल
6	PROSOPIS JULIFLORA	विलायती बबूल

जगदीश प्रसाद मीणा,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
कनवास।

रवि कुमार मीना,
उप वन संरक्षक,
कोटा।

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

जिला- कोटा
तहसील- सांगोद
रेंज- कनवास
वनखण्ड :- गुरायता बी
ग्राम- गुरायता
वन मंडल- कोटा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः- गैर मुमकिन जंगलात है। जिसे विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों विकास कार्य कराया गया है/कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है. प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सीमा (राजस्व बंजर/खातेदारी/वन) वन एवं खातेदारी भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति में कर दिया गया है।
5. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी०टी० शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
6. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग, का साक्ष्यसिद्ध हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड विभिन्न सडक परियोजनाओं में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।
9. प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकाशन पूर्व में नही करवाया गया है।

जगदीश प्रसाद मीणा,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
कनवास।

रवि कुमार मीना,
उप वन संरक्षक,
कोटा।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।